समाहरणालय, किशनगंज।

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

निविदा

संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 2923/ आ.प्र. दिनांक 02.08.2016 के आलोक में संभावित बाढ़ 2017 से निपटने हेतु पॉलीथीन शीट्स की आवश्यकता को दृष्टिगत करते हुए इच्छूक फार्मों / प्रतिष्ठानों आपूर्तिकर्त्ताओं से दिनांक 30.06.2017 को अपराह्न 02:00बजे तक मुहर बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन दिनांक 30.06.2017 को अपराह्न 03:00बजे अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें प्रत्येक निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

क्र0	सामग्रियों का विवरण	मात्रा	आकार	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	पॉलीथीन शीट्स	आवश्यकतानुसार	पॉलीथीन (4मी0 X 5मी0) साईज में थिकनेस 250 माईक्रोन, ISI मार्का, लोडेनसीटी का	डी0जी0एस0एण्ड0डी0 में निबंधित फर्म एवं उसके मापदंड के अनुसार दर प्रति किलो

निविदा की शर्तें

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग शील्ड/मुहरबन्द लिफाफे में ली जायेगी।
2. निविदादाताओं को उद्योग विभाग (प्लास्टिक उद्योग से संबंधित) के निबंधन प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ पैन नम्बर, अध्यतन आयकर भुगतान संबंधी प्रमाण-पत्र, बिक्रीकर का निबंधन संबंधी प्रमाण-पत्र, पॉलीथीन की नमूना एवं आपदा प्रबन्धन में पॉलीथीन शीट्स आपूर्त्ति करने का अनुभव प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
4. तकनीकी निविदा के साथ निर्धारित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
5. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
6. वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर परिवहन व्यय शामिल करते हुए सामग्री की दर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है। वित्तीय निविदा में कटिंग या ओभरराईटिंग मान्य नहीं होगा।
7. निविदा निर्धारण के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष सामग्रियों के नमूने के साथ उपस्थित रहेंगे।
8. परिवहन व्यय देय नहीं होगा सामग्री की आपूर्त्ति करने के उपरान्त विधिवत् प्राप्ति रसीद समर्पित करने के पश्चात् भुगतेय राशि का भुगतान किया जाएगा। किसी प्रकार का अग्रिम एवं परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
9. निविदा स्वीकृति के पश्चात् संबंधित सफल आपूर्त्तिकर्त्ता को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पूर्व में ही एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा, कि आपूर्त्ति आदेश के एक पक्ष के भीतर स्वीकृत नमूना के अनुभव उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता, मात्रा के अनुसार सामानों की आपूर्त्ति निश्चित रूप से कर देंगे, अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर उनके विरूद्ध कानून की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

10. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्ति लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

11. स्वीकृत किये गए सहाय्य सामग्री की आपूर्ति नहीं किये जाने एवं आपूर्ति की गई सहाय्य सामग्रियों में गुणवत्ता तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं भुगतान नहीं किया जायेगा।

12. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

14. कोई भी विवाद या दावा किशनगंज जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।

15. निविदा की विशेष जानकारी के लिए आपदा प्रबन्धन शाखा, किशनगंज जिला से सम्पर्क कर सकते है। विस्तृत जानकारी के लिए वेवसाईट http://kishanganj.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

16. आपूर्ति की गई सामग्रियों के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार वैट/आयकर की कटौती एक मुश्त भुगतान के समय की जायेगी।

17. सामग्री के गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाकर्त्ता को अधिमानता दी जायेगी।

18. आपूरित सामग्री के गुणवत्ता एवं विशिष्टता सत्यापन के पश्चात्, अनुमान्य बिक्रीकर एवं आयकर तथा अन्य अनुमान्य करों की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

19. सामग्री का दर डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट कॉन्ट्रेक्ट या उससे कम दर पर हो।

20. निविदादाता अथवा संबंधित फर्म को इस आशय का शपथ–पत्र मूल में समर्पित करना होगा कि उन्हें किसी सरकारी विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची में नहीं डाला गया हो।

21. भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने पर ही किया जायेगा। अपरिहार्य कारण से भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार की सूद की राशि देय नहीं होगा।

22. स्वीकृत निविदादाता को कार्यादेश मिलने के पश्चात् या भुगतान के पूर्व वाणिज्यकर विभाग/आयकर विभाग का स्वच्छता प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

23. आपूरित पॉलीथीन शीट्स के नमूने की जाँच निविदा में संलग्न नमूने के अनुसार *Central Institute of Plastic Engineering & Technology(CIPET) Hajipur* से करवाने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।

ह०/- प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन, किशनगंज।	ह०/- अपर समाहर्त्ता, किशनगंज।	ह०/- 16/06/17 जिला पदाधिकारी, किशनगंज।

ज्ञापांक ....377..../जि0आ0प्र0, दिनांक ....17..../....06..../2017

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, किशनगंज/उप विकास आयुक्त, किशनगंज/अनुमंडल पदाधिकारी,किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।